न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–18 / 2019 (2019 / 00090) दर्ज दिनांक 20.06.2019

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. रतन पिता बख्तावर गुर्जर निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बहैसियत सरपंच ग्राम पंचायत गणेशपुरा पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. भगवतीलाल पिता गिरधारी भील निवासी गलोदिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा बहैसियत वार्ड पंच ग्राम पंचायत गणेशपुरा पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु. गंगापुर ,जिला–भीलवाड़ा।

–विपक्षी

वकिल प्रार्थीगण :–श्री गणपत राणवा

विपक्षी :– पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 22.02.2021

प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विपक्षी के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में हाल आराजी नं0 990 रकबा 0.80 हे0 गे0मु0 रास्ता स्थित है प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

यह कि ग्राम गलोदिया की नवीन आराजी संख्या 990 रकबा 0.80 हे0 किस्म गे0मु0 रास्ता के साबिक नम्बर 333 रकबा 2 बीघा 18 [illegible] साबिक नम्बर 334, 343, 383, 429, 432 के नवीन नम्बर भी 900 ही है। प्रमाण [illegible] क्षेत्रफल की नकल व साबिक जमाबंदी सवंत 2036–2038 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 13:53:15 IST
Reason: SelfAttested

1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

यह कि नवीन आराजी संख्या 990 के सेटलमेन्ट के पूर्व नम्बर 333 थे एवं साबिक आराजी संख्या 333 की किस्म छा0क0 थी। साबिक नक्शा त्रिकोण बना होकर इस साबिक नम्बर के रास्ता एक तरफ निकला हुआ है लेकिन भू–प्रबंध अधिकारियों को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी साबिक आराजी संख्या 333 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा किस्म छा0क0 को सेटलमेन्ट के दौरान नवीन नम्बर 990 कायम करते हुए किस्म गे0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया गया है एवं साबिक नक्शे को भी पूरी तरह से बदलकर इस नम्बर पर नवीन नम्बर 990 कायम कर पूरे को नक्शे में रास्ता दर्ज कर दिया है। जबकि मौके पर कोई रास्ता स्थित नहीं है। एवं मौके पर पूर्व में पंचायत की ओर से पट्टे जारी कर रखे है एवं इस भू–भाग का अधिकांश हिस्सा वस्तुतः आबादी से सटा होकर इसी प्रकार के उपयोग उपभोग में है तथा भू प्रबंध अधिकारियों को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जिससे साबिक आराजी संख्या 333 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा किस्म छा0क0 के नवीन नम्बर 990 रकबा 0.80 हे0 किस्म गे0मु0 रास्ता भूमि जो भू–प्रबंध अधिकारियों ने किस्म बदलकर रेकार्ड में दर्ज करते हुए सेटलमेन्ट से पूर्व के अनुसार पुनः नवीन आराजी संख्या 990 / 2 रकबा 0.7849 हे0 भूमि की किस्म गे0मु0 रास्ते से छा0क0 दर्ज किया जाकर राजस्व नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार ही नवीन नक्शा तरमीम कर संशोधित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

यह कि नवीन आराजी संख्या 990 में से 0.0151 हे0 भूमि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवाप्त की गई है जिसके आराजी संख्या 990 / 1 कायम किये गये है तथा शेष भूमि के नम्बर 990 / 2 रकबा 0.7849 कायम होकर किस्म गे0मु0 रास्ता है जिसे प्रार्थीगण शेष भूमि नवीन आराजी संख्या 990 / 2 रकबा 0.7849 हे0 किस्म गे0मु0 रास्ता से संशोधन कर पुनः साबिक किस्म छा0क0 कराये जाने एवं साबिक नक्शे अनुसार ही नवीन नक्शा तरमीम कराये जाने के विधिक अधिकारी है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम गलोदिया की साबिक आराजी संख्या 333 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा किस्म छा0क0 के नवीन नम्बर 990 रकबा 0.7849 हे0 किस्म गे0मु0 रास्ता भूमि जो भू–प्रबंध अधिकारियों ने किस्म बदलकर रेकार्ड में दर्ज करते हुए व नक्शे में गलत दर्शा दिया है उसको पुनः इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए सेटलमेन्ट से पूर्व के अनुसार पुनः नवीन आराजी संख्या 990 / 2 रकबा 0.7849 हे0 भूमि की किस्म गे0मु0 रास्ते से छा0क0 दर्ज किया जाकर राजस्व नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार ही नवीन नक्शा तरमीम कर संशोधित कराये जाने का आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रकरण दिनांक 20.06.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। पेरोकार सरक... करने से जवाबदेही बंद की गई तहसीलदार सहाड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की ... रिपोर्ट अनुसार :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 13:53:15 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

ग्राम गलोदिया के हाल आराजी नं0 990 / 2 रकबा 0.7849 हे0 किस्म गे0मु0 रास्ता दर्ज होकर राजस्व रेकार्ड में राजकीय भवनों आदि के प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज है। आराजी नं0 990 में से 0.0151 हे0 एन0एच0 में अवाप्त हुई हैं। आराजी नं0 990 मिलानक्षेत्रफल अनुसार 343 मी0, 334 मी0, 333 मी0, 429 मी0, 432 मी0 से मिलकर बना है। गत आराजी नं0 333 रकबा 2 बीघ 8 बिस्वा किस्म छा0क0 जमाबंदी संवत् 2036—2039 के खाता संख्या 1 में दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान में मौके पर आराजी नं0 990 / 2 रकबा 0.7849 हे0 एनएच से ग्राम गलोदिया की आबादी में जाने वाले रास्ते के रूप में अधिकांश रकबा उपयोग में आ रहा है। आराजी नं0 956 के सामने करीबन 0.03 हे0 भूमि पर चारदीवारी बनी हुई है। मौके पर आराजी नं0 956 में सी0सी0 रोड़ बना होकर सुचारू रूप से रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में राजस्व रेकार्ड पेश किया साथ ही पेरोकार सरकार की बहस एवं मौका रिपेार्ट का भी अवलोकन किया जिससे ग्राम गलोदिया की साबिक आराजी संख्या 333 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा किस्म छा0क0 के नवीन नम्बर 990 रकबा 0.7849 हे0 किस्म गे0मु0 रास्ता भूमि जो भू—प्रबंध अधिकारियों ने किस्म बदलकर रेकार्ड में दर्ज करते हुए व नक्शे में गलत दर्शा दिया है उसको पुनः इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए सेटलमेन्ट से पूर्व के अनुसार पुनः नवीन आराजी संख्या 990 / 2 रकबा 0.7849 हे0 भूमि की किस्म गे0मु0 रास्ते से छा0क0 दर्ज किया जाकर राजस्व नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार ही नवीन नक्शा तरमीम कर संशोधित किया जाना न्यायोचित है अतएवः—

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम गलोदिया पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 990 / 2 रकबा 0.7849 हे0 भूमि की किस्म गे0मु0 रास्ते से छा0क0 दर्ज किया जाकर राजस्व नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार ही नवीन नक्शा तरमीम कर संशोधित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर को लिखा जावे । पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.10 13:53:15 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर 3.